

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(63)2021/

दिनांक : 26/4/2021

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1 श्री सोहन लाल पिता देवजी जाट उम्र 61 निवासी गणेशपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।



प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री चतरभुज पिता मियाचन्द्र जाति जाट उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुर तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री रामलाल पिता मियाचन्द्र जाति जाट उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री माधुलाल पिता छोगा लालजाति जाट उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 4 श्री भैरूलाल पिता नारायण लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 5 श्री देवा पिता कालु जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री रतन पिता शंकर जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री जीतु पिता टेका जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 8 श्री किशना पिता टेका जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 9 श्री लोभा पिता भुरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी परमेश्वरपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 10 श्री गोवर्धन पिता भुरा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 11 श्री भैरूलाल पिता रजनलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 12 श्री शोभा लाल पिता गोपी लाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 13 श्रीमान तहसीलदार तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 63 /2021

--:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::--

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का डिण्डोल तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 24,97,2303,2307 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्टमय पर्चा मौका पेश करे।

(सुनील शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राशमी

